FAIRTRADE
NETWORK OF ASIA & PACIFIC PRODUCERS

बच्चों और कमजोर/असुरक्षित वयस्कों की सुरक्षा के लिए नेटवर्क ऑफ एशिया एंड पैसिफिक प्रोड्यूसर्स की नीति और प्रक्रिया

दिसंबर 2017

निम्न के साथ लागू करने के लिए:
नेटवर्क ऑफ एशिया एंड पैसिफ़िक प्रोड्यूसर्स (एनएपीपी), फेयरट्रेड/एनएपीपी संगठनों के कार्यकर्ता व उत्पादक, एनएपीपी कर्मी, एनएपीपी के साथ काम करने वाले स्वयंसेवक, एनएपीपी के निदेशक मंडल और विभिन्न समितियों से संबंधित सदस्य, और कोई भी अन्य व्यक्ति जो उस संगठन का प्रतिनिधित्व करता है, जो काम करते समय या आधिकारिक तौर पर एनएपीपी के लिए यात्रा करते समय बच्चों या कमजोर वयस्कों के साथ संपर्क में रहते अथवा आते हैं।

रणनीति: एनएपीपी का दृष्टिकोण एक प्रणाली बनाने का है जो बच्चों और कमजोर वयस्कों की सुरक्षा को बढ़ावा दे, ताकि संबंधित दुराचार और शोषण सहित बाल मजदूरी और बेगार (बलपूर्वक मजदूरी करवाना) को समाप्त करने के उद्देश्य से कार्रवाई की जा सके।

1. उद्देश्य:

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का समझौता और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, विश्व स्तर पर बच्चों के अधिकारों सहित, व्यक्तिगत अधिकारों को सुनिश्चित करता है और बढ़ावा देता है।

एनएपीपी (नेटवर्क ऑफ एशिया एंड पैसिफिक प्रोड्यूसर्स) में, हम इन अधिकारों का समर्थन करते हैं और बच्चों व कमजोर वयस्कों के संरक्षण, विकास और सम्पूर्ण कल्याण से संबंधित अधिकारों की मान्यता को सुनिश्चित करने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम किसी भी प्रकार अथवा सभी प्रकार के खतरों या नुकसान से बच्चों और कमजोर वयस्कों की रक्षा करने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एनएपीपी अपने सभी एनएपीपी कर्मियों, छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के संगठनों, निदेशक मंडल और उनके आयोगों और कोई भी अन्य व्यक्ति जो एनएपीपी द्वारा अस्थायी रूप से अनुबंधित हो, से अपेक्षा करता है कि हमारे साथ उनके संबंधों के आधार के रूप में बच्चों और कमजोर वयस्कों के सर्वोत्तम हित में अपने कार्यों का निर्वहन करें।

बच्चों और कमजोर वयस्कों की सुरक्षा के लिए यह नीति हमारी उस सोच पर आधारित है जो सब से ऊपर उनके अधिकारों को मान्यता देती है, और हम यह गारंटी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे सभी कार्य बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सिद्धांतों और संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की घोषणा पर आधारित हैं, विशेष रूप से बच्चों और कमजोर वयस्कों की सुरक्षा के लिए उनके प्रासंगिक लेख के अनुसार है।

एनएपीपी गारंटी देने में सहायता के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाएगा कि हम नुकसान, दुरुपयोग या शोषण के खिलाफ बच्चों और कमजोर वयस्कों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करेंगे।

2. **परिभाषा**: ***बच्चा/बाल:*** 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति।

बाल मजदूरी:

"बाल मजदूरी/श्रम" की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, लेकिन प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आय.एल.ओ) कन्वेंशन और बाल अधिकार (सी.आर.सी) पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन बाल मजदूरी को परिभाषित करने वाले प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी उपकरण हैं।

आयएलओ के अनुसार, बाल श्रम वह काम है:

- जो बच्चों के लिए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक, शोषक और हानिकारक होता हो; तथा
- जो निम्न माध्यम से बच्चों की स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है:
    - उन्हें स्कूल जाने के अवसर से वंचित रखना;
    - समय से पहले स्कूल छोड़ने के लिए उन्हें बाध्य करना; या
    - अत्यधिक लंबे और भारी कार्य के साथ स्कूल में उपस्थिति को संयोजित करने के लिए, उन्हें प्रयास करने के लिए मजबूर करना

कार्य को खतरनाक कार्य के रूप में तब संदर्भित किया जाता है जब इसको करने की प्रकृति या उन स्थितियों के कारण, जिस तरह से इसे अंजाम दिया जाता है, यह किशोरों या बच्चों की शारीरिक, मानसिक या नैतिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, भले ही वह काम करने के लिए न्यूनतम आयु से ऊपर हैं।

बाल श्रम के निर्विवाद रूप से सबसे निकृष्टतम रूपों में से कोई भी, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुलामी, मानव तस्करी, ऋण बंधन, बंधुआ मजदूरी या जबरन श्रम के अन्य शैलियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे सशस्त्र संघर्ष, व्यावसायिक यौन शोषण और पोर्नोग्राफी (अश्लील चित्र/वीडियो), या अवैध गतिविधियों में बच्चों की जबरन भर्ती करना।

बाल संरक्षण:

एनएपीपी में हम बाल संरक्षण को उन कार्यों के रूप में परिभाषित करते हैं जो बच्चों को श्रम, हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा के सबसे बुरे प्रारूपों से बचाने के लिए किए जाते हैं, और साथ ही, हम बच्चों की भलाई और विकास के लिए किये गए पहल का समर्थन करते हैं।

बाल कल्याण और विकास:

उत्पादक वयस्क और सक्रिय नागरिक बनने की राह में, बच्चे व किशोर क्षमताओं और ज्ञान का विकास और अधिग्रहण करते हैं, और वे कल्याण के सकारात्मक माहौल में ऐसा करते हैं। कौशल और ज्ञान का अधिग्रहण औपचारिक/व्यावसायिक शिक्षा और काम एवं जीवन के अनुभवों के माध्यम से होता है, जिसमें खेल-कूद भी शामिल है।

बेगारी (जबरन मजदूरी करवाना):

जबरन श्रम में किसी व्यक्ति द्वारा धमकी या दंड के तहत करवाए गए कार्य या सेवा शामिल हैं, या जिसके लिए उक्त व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपने आपको प्रस्तुत नहीं किया है, साथ ही दासता और अपहरण के तहत करवाया गया कार्य, सार्वजनिक और जेल कार्यों का दुरुपयोग, जबरन भर्ती, ऋण बंधन, बंधुआ मजदूरी और घरेलू श्रमिकों को जबरन श्रम स्थितियों के तहत और श्रम या सेक्स के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानव

तस्करी, जिसमें गुलामी और गुलामी के समान प्रथाएं शामिल हैं। बेगार (जबरन मजदूरी) की आयएलओ परिभाषाओं में बाल श्रम के बिना शर्त सबसे निकृष्टतम रूप शामिल हैं (जैसा कि ILO 182 में निर्दिष्ट है)।

वल्नरेबल (कमजोर) वयस्क:

एक व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और मुख्य रूप से जबरन श्रम प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण नुकसान या गंभीर शोषण के खिलाफ खुद की रक्षा करने में असमर्थ है।

3. नीति का दायरा

यह नीति सभी एनएपीपी कर्मियों और एनएपीपी निदेशक मंडल एवं उसकी समितियों पर लागू होती है। यह सभी व्यक्तियों, जो संगठन द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं और / या अनुबंधित हैं, और जो विशेष रूप से काम करते समय अथवा आधिकारिक तौर पर एनएपीपी के लिए यात्रा करते समय बच्चों के संपर्क में आते हैं, उनके द्वारा अपनाई जाने वाली जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं की व्याख्या करती है।

इसके अलावा, एनएपीपी सम्बंधित राष्ट्रीय नेटवर्क और छोटे उत्पादकों व श्रमिकों के संगठनों को भी आमंत्रित करता है कि वे इस नीति के इस्तेमाल को अपनी संरचनाओं के भीतर बढ़ावा दें और/या इस एनएपीपी जनरल पॉलिसी के आधार पर अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास करें।

4. घोषणा:

एनएपीपी बच्चों और कमजोर वयस्कों की भलाई के पक्ष में सकारात्मक गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध है, **और जब भी आवश्यक हो**, **दुरुपयोग या शोषण के प्रत्येक मामले में लंबे समय तक संरक्षण के लिए समर्थन प्रदान करता है,** बाल मजदूरी या जबरन मजदूरी के सबसे खराब रूपों सहित**,** जो इस महाद्वीप (एशिया और प्रशांत) में फेयरट्रेड उत्पादन के संदर्भ में खुद को प्रस्तुत कर सकते हैं।

इन कार्यों के साथ, एनएपीपी सक्रिय रूप से बच्चों, किशोरों और कमजोर वयस्कों को किसी भी नुकसान से बचाने की कोशिश करता है, और संरक्षण के लिए बच्चों और कमजोर वयस्कों के अधिकारों के पूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। हम उन प्रचलनों को बढ़ावा देने के लिए अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं जो बच्चों और कमजोर वयस्कों के लिए सुरक्षित हैं और उन्हें सभी तरह के दुराचार, दुरूपयोग और शोषण से बचाने के लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा, हम उन बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने का वादा करते हैं जो दुर्व्यवहार या शोषण की घटना को रिपोर्ट करते हैं।

इन कार्यों को मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित किया जाएगा:

- एनएपीपी के कर्मचारियों, निदेशक मंडल, राष्ट्रीय नेटवर्क, उत्पादकों व श्रमिकों के संगठनों, फेयरट्रेड उत्पादन (जब संभव हो) के प्रभाव के क्षेत्र में समुदायों, स्वयंसेवकों और संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई भी अन्य व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण बाल श्रम की परिभाषा पर केंद्रित होगा, जिसमें बाल श्रम और जबरन श्रम के सबसे खराब रूप शामिल हैं, और फेयरट्रेड मानकों के अंश के साथ अनुपालन, जो इस तरह का उल्लेख करता है।
- बाल विकास, कमजोर वयस्कों की भलाई और पीढ़ीगत प्रतिस्थापन पर केंद्रित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सदस्य संगठनों की सहायता।

- लिंग आधारित हिंसा के आरोप या घटनाओं सहित, बाल अथवा जबरन मजदूरी की पहचान करने और उचित कार्यवाई करने में उत्पादक संगठनों की सहायता,
- फेयरट्रेड इंटरनेशनल या अन्य विशेषज्ञों द्वारा विकसित, समावेशी, समुदाय-आधारित निगरानी और उपचारात्मक व्यवस्था के लिए प्रणाली स्थापित करने में रुचि रखने वाले सदस्य संगठनों को तकनीकी सहायता।
- बच्चों और कमजोर वयस्कों की सुरक्षा में विशेषज्ञता रखने वाली एजेंसियों के साथ गठबंधन का निर्माण, जो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन पर भी आधारित है और यह आईएलओ 138 के साथ-साथ आईएलओ 182 की मान्यता को बढ़ावा देता है, और आईएलओ कन्वेंशन 29 और 105 पर आधारित हैं, जिसमें जबरन मजदूरी और भेदभाव संबंधित 111 भी शामिल हैं; जब एक स्पष्ट गवाही वाला मामला खुद को प्रस्तुत करता है तब यह कन्वेंशन समर्थन करने और हमें सलाह देने में सक्षम हैं, और इसे संबंधित सुरक्षा अधिकारियों या विशेषज्ञ संगठनों को सूचित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाल अथवा जबरन मजदूरी या लिंग आधारित हिंसा का सामना करने वाले प्रभावित व्यक्तियों को कोई और नुकसान न हो।
- बच्चों या कमजोर वयस्कों से दुराचार या शोषण के किसी भी घटना के बारे में जिसकी जानकारी हमें फेयरट्रेड उत्पादन या प्रौद्योगिकी की कार्यविधि के क्षेत्र में मिलती है, उस जानकारी की गोपनीयता के उच्चतम स्तर की गारंटी देते हुए हम संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थाओं और अधिकारियों को सूचित करने के लिए भी एक प्रतिबद्धता बनाते हैं। हमारे निर्णयों और कार्यों को हमेशा "बच्चों या कमजोर वयस्कों के सर्वोत्तम हित" के सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाएगा, साथ ही हमेशा उनके नैतिक मूल्यों की रक्षा की जाएगी।

5. प्रक्रियाएं:

निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि "एनएपीपी कर्मियों के साथ-साथ एनएपीपी निदेशक मंडल, आयोग और सभी व्यक्ति और/या संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले और/या संगठन से जुड़े":

- मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य से समझते हैं कि बाल श्रम के सबसे खराब स्वरूप, जैसे गुलामी, बाल तस्करी, बंधुआ मजदूरी और अन्य प्रकार की जबरन मजदूरी जैसे सशस्त्र संघर्ष, वाणिज्यिक यौन शोषण तथा पोर्नोग्राफी (अश्लील चलचित्र) और अवैध गतिविधियों में बच्चों और कमजोर वयस्कों की जबरन भर्ती किया जाना।

- बच्चों और कमजोर वयस्कों की सुरक्षा के लिए अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से समझें और एनएपीपी की आचार संहिता का अनुपालन करें, जैसा कि **अनुलग्नक ए (Annex A)** में वर्णित है।

- बच्चों और कमजोर वयस्कों की सुरक्षा के लिए बनाये गए एनएपीपी की नीति और प्रक्रिया को समझें और उनका बचाव करें, और **अनुलग्नक बी (Annex B)** में प्रदान किए गए एक विशिष्ट फॉर्म पर हस्ताक्षर करके इसकी पुष्टि करें।

- समझें कि इन मामलों अथवा हिंसा, शोषण, और दुराचार के आरोपों को उचित व सुरक्षित रूप से कहां रिपोर्ट करना है और बच्चों व कमजोर वयस्कों के संरक्षण के लिए उठाये जाने वाले सुरक्षित कदम, एक व्यक्ति के रूप में अनुसरण करने के चरणों को समझना चाहिए।

इन समझ व सूझबूझों के साथ, एनएपीपी के कर्मचारी व निदेशक मंडल और आयोग:

- कोई भी मामला जिसके लिए बच्चों या कमजोर वयस्कों से दुराचार या शोषण के संबंध में विश्वसनीय जानकारी होती है, एनएपीपी की लागू प्रक्रियाओं के अनुसार और अनुलग्नक सी में दिए गए रिपोर्ट फॉर्म का उपयोग करके तुरंत सीईओ या उसके समकक्ष को रिपोर्ट करेंगे। एनएपीपी अध्यक्ष को आरोपों और मामलों की सूचना दी जाएगी और प्रभावित बच्चे या कमजोर वयस्क की सुरक्षा के लिए सुझाई गई समग्र कार्रवाइयों पर निर्णय लेने के लिए सीईओ अथवा उनके समकक्ष के साथ काम करना होगा। सीईओ या उनके समकक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों और कमजोर वयस्कों के अधिकारों के बारे में विशेषज्ञता वाले संगठनों के अनुरूप बच्चे या कमजोर वयस्कों के सर्वोत्तम हितों के आधार पर कार्रवाई करने के निर्णय को निष्पादित करें। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक संरक्षण एजेंसी या एजेंट को बच्चों और कमजोर वयस्कों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रिपोर्टिंग का संकेत दे सकता है, जो लंबे समय से बच्चों और कमजोर वयस्कों की भलाई का आश्वासन देता है।

- एनएपीपी की लागू प्रक्रियाओं के अनुसार, किसी बच्चे या कमजोर वयस्क से संभावित दुराचार या शोषण के विश्वसनीय ज्ञान की प्रतिक्रिया दें। और मामले की रिपोर्टिंग के लिए अग्रणी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ें, हमेशा बच्चों और कमजोर वयस्कों के सर्वोत्तम हितों का सम्मान करते हुए, और यह सुनिश्चित करते हुए कि हम अपने कार्यों के माध्यम से उन्हें और नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

- एनएपीपी के सीईओ या उनके समकक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर बच्चों या कमजोर वयस्कों से दुराचार या शोषण की किसी भी जांच में पूरी तरह और गोपनीय रूप से सहयोग करें। कोई भी व्यक्ति (कर्मचारी, किराए पर काम करने वाला कर्मचारी या एनएपीपी का प्रतिनिधि) सीईओ या उनके समकक्ष से विशिष्ट निवेदन प्राप्त किए बिना कोई जांच या अतिरिक्त जानकारी उत्पन्न नहीं कर सकता है।

- एक ऐसा वातावरण बनाने में योगदान करें जिसमें बच्चों को, विशेष रूप से, उनकी चिंताओं और उनके अधिकारों के बारे में बात करने के लिए सम्मानित व प्रोत्साहित किया जाता हो।

- हमेशा बच्चों से (माता-पिता या अभिभावकों से एक अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें) उनकी तस्वीरें या वीडियो लेने या उनका साक्षात्कार (इंटरव्यू) करने से पहले अनुमति मांगें। जब वे इनमें से किसी भी संभावना के लिए "नहीं" कहते हैं, तो उनके निर्णय का सम्मान करें। बच्चों की कहानियां और चित्र उनके सर्वोत्तम हित पर आधारित होने चाहिए। लिंग आधारित हिंसा सहित बाल या जबरन मजदूरी में किसी भी बच्चे या कमजोर वयस्क की तस्वीर नहीं ली जाएगी; फोटोग्राफ के लिए उनकी सहमति को अमान्य व शून्य माना जाएगा क्योंकि उनकी कमजोर स्थिति सहमति को स्वतः अस्वीकार करती है। संरक्षण सभी मामलों के ऊपर प्राथमिकता लेगा।

- इस बात से अवगत रहें कि यदि बच्चों या कमजोर वयस्कों की सुरक्षा के संबंध में एनएपीपी कर्मचारियों, एनएपीपी के निदेशक मंडल या समितियों अथवा संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, और/या इस संरक्षण नीति के गैर-अनुपालन के मामले में जानकारी है, तो सुरक्षित रूप से कानून के अनुसार जांच के लिए एनएपीपी के प्रशिक्षित सीईओ या समकक्ष, और/या संबंधित अधिकारियों के पास दायर शिकायत के माध्यम से रिपोर्ट और जांच की जाएगी। यदि सीईओ या समकक्ष के ही खिलाफ आरोप या रिपोर्ट बनाई जानी है तो प्रबंधन के क्रम में अगले पद को और/या एनएपीपी बोर्ड के अध्यक्ष को रिपोर्ट करने से मुद्दों के टकराव से बचा जा सकता है।

- बच्चों और कमजोर वयस्कों के लिए सुरक्षा की नीति में इन प्रक्रियाओं से परिचित हों, और बाल मजदूरी और जबरन मजदूरी के बारे में फेयरट्रेड मानकों का स्पष्ट ज्ञान रखें, विशेष रूप से उन पहलुओं में, जिन्हें एक बच्चे/कमजोर वयस्क सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि वर्तमान नीति में संकेत दिया गया है।

6. संचार प्रक्रिया:

- बच्चों और कमजोर वयस्कों के लिए सुरक्षा के विषय से सम्बंधित सभी जानकारी एनएपीपी की विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी है, और इस तरह, इस जानकारी के आंतरिक और बाहरी संचार में सख्त प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, जिसकी गोपनीयता पर कर्मचारियों और/या एनएपीपी के तहत काम करने वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त समझौतों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि संगठन के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा आवश्यक समझा जायेगा। यह मामला-दर-मामला के आधार पर तय किया जाएगा।

- बच्चों और कमजोर वयस्कों के लिए संरक्षण के विषय पर सभी जानकारी प्रकृति के अनुसार संवेदनशील होती है, और यह महत्वपूर्ण है कि इस जानकारी को संप्रेषित करते समय उचित सावधानी बरती जाए। बच्चों की सुरक्षा से सम्बंधित सूचनाओं के प्रदाता और प्राप्तकर्ता, दोनों की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि केवल निर्दिष्ट प्राप्तकर्ता ही इस तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं और जानकारी तक पहुँच बना पाते हैं। इसलिए, इस संबंध में किसी भी संचार को एक ईमेल के "Subject/विषय" सेक्शन के तहत, साथ ही ईमेल संदेश के पाठ सामग्री में और संलग्न दस्तावेजों के में भी "**CONFIDENTIAL**"/"**गोपनीय**" शब्द के साथ चिन्हित किया जाना चाहिए।

  किसी भी समय कोई भी व्यक्ति स्वयं यह निर्णय नहीं ले सकता है कि बच्चों या कमजोर वयस्कों की रक्षा के लिए जानकारी या कार्रवाई किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को दी जाएगी, या ली जाएगी, भले ही वह व्यक्ति जो सूचना जारी करता हो या कार्रवाई करने का निर्धारण करता हो, ऐसा करने पर विश्वास करता है कि ऐसा करने से बच्चे या कमजोर वयस्क को सर्वोत्तम हित प्राप्त होगा अथवा उनके सर्वोत्तम हित बने रहेंगे।

- संरक्षण पर विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी वाले किसी भी व्यक्ति को फेयरट्रेड प्रणाली के भीतर या बाहर एक इकाई के साथ इस तरह की जानकारी साझा करने की अपनी इच्छाओं के बारे में एनएपीपी के सीईओ या समकक्ष के साथ विचार-विमर्श करना होगा। यह प्रावधान एनएपीपी के सीईओ और अध्यक्ष पर भी लागू होता है।

- जब एनएपीपी के सीईओ या उनके समकक्ष को बाल मजदूरी या जबरन मजदूरी के सबसे खराब स्वरूपों के बारे में आरोप या जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें लिंग आधारित हिंसा भी शामिल है, तो उन्हें 15 कार्य दिवसों से कम समय में मामले की रिपोर्ट करने के लिए कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता है।

इन मानकों को निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित किया गया है:

एनएपीपी की महासभा के सत्यापन के लिए प्रतिबद्धता के साथ एनएपीपी का निदेशक मंडल।

नेटवर्क ऑफ एशिया एंड पैसिफिक प्रोड्यूसर्स - बोर्ड के अध्यक्ष

श्री गणनासेकरन राजारत्नम

FAIRTRADE
NETWORK OF ASIA & PACIFIC PRODUCERS

परिशिष्ट A

एनएपीपी की बच्चों और कमजोर वयस्कों के संरक्षण के लिए आचार संहिता

मैं, ____ [नाम लिखें] स्वीकार करता हूं कि मैंने एनएपीपी की सुरक्षा नीति पढ़ी और समझ ली है, और सहमत हूं कि एनएपीपी के साथ मेरे जुड़ाव के दौरान, मुझे:

> जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय, जातीय या सामाजिक मूल, गुण, विकलांगता, जन्म या अन्य स्थिति की परवाह किए बिना बच्चों और/या कमजोर वयस्कों के साथ सम्मानजनक व्यव्हार करना है।

> बच्चों या वयस्कों के प्रति ऐसी भाषा या व्यवहार का इस्तेमाल नहीं करना है जो अनुचित, उत्पीड़नकारी, अपमानजनक, लैंगिक रूप से भड़काऊ, अशिष्ट या सांस्कृतिक रूप से अनुचित हैं।

> 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के यौन संभोग या यौन गतिविधि में संलग्न नहीं करना है, जिसमें यौन सेवाओं या अश्लील कृत्यों के लिए भुगतान करना भी शामिल है।

> 18 साल से ऊपर आयु के किसी भी व्यक्ति, जो कि एनएपीपी, उत्पादक संगठनों या भागीदार संगठनों में काम कर रहा हो, के साथ यौन उत्पीड़न या संबंधित दुराचार के किसी भी रूप में संलग्न नहीं होना है।

> जहां भी संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों या कमजोर वयस्कों की निकटता में काम करते समय एक और वयस्क मौजूद हो,

> अपने घर में अकेले बच्चों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए, जब तक कि उन्हें चोट का तत्काल खतरा या भौतिक खतरा न हो, ऐसी स्थिति में, मुझे एक पर्यवेक्षक से अनुमति लेनी होगी और एक अन्य वयस्क भी उपस्थित होना चाहिए।

> बिना देखरेख में बच्चों के करीब नहीं सोना है।

> किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा, कैमरा या सोशल मीडिया का इस्तेमाल उचित रूप से करना है, और कभी भी इनका इस्तेमाल बच्चों या कमजोर वयस्कों का शोषण या उत्पीड़न के लिए नहीं करना है, किसी भी माध्यम से शोषण सामग्री का उपयोग नहीं करना है।

> बच्चों पर शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं करना है

> घरेलू या अन्य श्रम के लिए बच्चों को काम पर नहीं रखना है, जो उनकी उम्र या विकास की अवस्था को देखते हुए अनुचित है, जो उनकी शिक्षा और मनोरंजक गतिविधियों के लिए उपलब्ध समय में हस्तक्षेप करता है, या जो उन्हें चोट के अहम जोखिम में रखता है।

> मुझे सभी प्रासंगिक स्थानीय कानूनों का पालन करना है, जिसमें बाल मजदूरी और जबरन मजदूरी के संबंध में श्रम कानून शामिल हैं, जिसमें लिंग आधारित हिंसा भी शामिल है।

> एनएपीपी सुरक्षा नीति में बताए अनुसार उचित प्रक्रियाओं के तहत शोषण और दुराचार अथवा नीति के अनुपालन नहीं होने की चिंता या आरोपों को तुरंत रिपोर्ट करना है।

> तुरंत सभी आरोपों, दोषसिद्धि और अपराध के अन्य परिणामों का खुलासा करना है, जो कि एनएपीपी के साथ मेरे जुड़ने के दौरान या उससे पहले हुआ था जो शोषण और दुराचार से संबंधित हो।

मैं समझता हूँ कि इस आचार संहिता के उल्लंघन की किसी भी घटना को उचित प्रक्रियाओं के अनुसार तुरंत रिपोर्ट किया जाना चाहिए, और जिसके परिणामस्वरूप एनएपीपी के साथ रोजगार निलंबित या समाप्त हो सकता है।

हस्ताक्षर: दिनांक: **17 जनवरी 2020**

बोर्ड के अध्यक्ष: श्री गणनासेकरन राजारत्नम
मुख्य परिचालन अधिकारी: श्री संजीत सिंह खुराना

परिशिष्ट B

प्रतिबद्धता की घोषणा

मैं, ____________________(नाम लिखें), एनएपीपी के प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड वल्नरेबल एडल्ट्स पॉलिसी (बच्चों और कमजोर वयस्क की सुरक्षा नीति) से अनुकूलित हुआ हूँ और इसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

हस्ताक्षर: दिनांक:

नाम :
पद :

FAIRTRADE
NETWORK OF ASIA & PACIFIC PRODUCERS

परिशिष्ट C संरक्षण रिपोर्टिंग प्रपत्र[2]

परिशिष्ट A संरक्षण रिपोर्टिंग प्रपत्र[2]
प्रारंभिक रिपोर्ट

गोपनीय - निम्नलिखित को केवल 'जानने की आवश्यकता' पर साझा किया जाएगा

<u>जितना संभव हो अधिक से अधिक जानकारी सहित</u> फॉर्म पूरा भरें ।

क्या रिपोर्ट किया जा रहा है?
☐ दुराचार का आरोप - सामान्य संदेह/चिंता कि दुराचार हो रहा है।
☐ दुराचार की घटना - वास्तविक दुराचार होते देखा है।
☐ संरक्षण शिकायत - बच्चे और/या वयस्क का खुलासा।

रिपोर्ट विवरण:

समय: ___________ दिनांक: _________ स्थान: ____________________________________.
____

रिपोर्टकर्ता का विवरण:
नाम: ___________________________________ राष्ट्रीयता: ___________________
पता/संपर्क विवरण:
____
____
जन्म की तारीख: ______________ आयु: __________ लिंग: _________(पुरुष/स्त्री)
पीड़ित से संबंध:
____
व्यवसाय: ______________________ नियोक्ता: __________________________

कथित पीड़ित का विवरण: *(जितना संभव हो अधिक से अधिक विवरण साझा करें, यदि ज्ञात हो)*